



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

28 माघ, 1942 (श०)

संख्या-125 राँची, बुधवार,

17 फरवरी, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची

आदेश

27 जनवरी, 2021

आदेश संख्या:-5/आरोप-1-450/2014 क० 560-- श्री नीरज कुमार सिंह, झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक-793, गृह जिला- भागलपुर), तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी, गिरिडीह को रिश्वत लेने के आरोप में निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा दिनांक 14.04.2011 को हिरासत में लिये जाने के कारण विभागीय आदेश सं०-2121 दिनांक 26.04.2011 द्वारा उन्हें दिनांक 14.04.2011 की तिथि से अगले आदेश तक निलंबित किया गया एवं विभागीय आदेश सं०-6218 दिनांक 01.10.2011 द्वारा न्यायिक हिरासत से मुक्त होने के तिथि दिनांक 15.07.2011 से पुनः निलंबित किया गया तथा विभागीय आदेश सं०-12173, दिनांक 31.10.2012 द्वारा श्री सिंह को निलंबन मुक्त किया गया।

विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, द्वारा श्री सिंह को निगरानी वाद सं०-11/2011 में दोषसिद्ध किये जाने एवं उन्हें हिरासत में लिये जाने के कारण दिनांक 17.02.2020 से 22.07.2020 तक वे Deemed निलंबित रहे।

श्री सिंह द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में दायर रिट याचिका क्रिमिनल अपील (एस०जे०) सं०-210/2020 में दिनांक 08.07.2020 को पारित न्यायादेश में उन्हें दोष मुक्त कर दिये जाने के कारण विभागीय संकल्प सं०-5855, दिनांक 13.11.2020 द्वारा श्री सिंह की दिनांक

14.04.2011 से 15.07.2011 तथा पुनः दिनांक 17.02.2020 से 22.07.2020 तक की निलंबन अवधि को कर्तव्य अवधि के रूप में विनियमित किया गया है।

अतः समीक्षोपरांत, श्री नीरज कुमार सिंह, झा0प्र0से0, तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी, गिरिडीह की दिनांक 16.07.2011 से 30.10.2012 तक की निलम्बन अवधि को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-11 के अन्तर्गत पूर्ण वेतन एवं भत्ते पर कर्तव्य पर बितायी गई अवधि के रूप में विनियमित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
